Form No. III

फर्द अहकाम

नियम 25

...त उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना

मीरसिंह बनाम अशोक वगैरह सन् 2022

...दमा दावा नं.

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	24.8.22 आज यह वाद पत्र पेश किया दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण [illegible] तलब हो वाद वास्ते दि० 27.10.22 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.	
7-10-22	आज पत्रावली पेश हुई। वक्त [illegible] पीठासीन अधिकारी अवकाश/ मिटिंग में पधारे हैं। पत्रावली उनके समक्ष दि 5-1-23 को पेश हो। [initials] कार्यवाही पत्रा० में प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 की तरफ से श्री मकर ध्वज शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश किया है।	
5/1/23	आज पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान फरीकेन [illegible] श्री पीठासीन अधिकारी अवकाश/दौरे मिटिंग मे पधारे है। पत्रावली उनके समक्ष दि0 6-2-23 को पेश हो। [initials] 6.2.23 आज पत्रावली पेश हुई पक्षकारान हाजिर [illegible] पत्रावली के [illegible] वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया व वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया [illegible] पेश किया [illegible] पत्रावली [illegible] होने से [illegible] दिनांक 22.2-23 को पेश हो। [initials]	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम ... में जा...
2-9-24	आज यह पत्रावली पेश हुई. फरीकैन के वकील उपस्थित है. ब.द.स. ....को समय चाहते है। पत्रावली वास्ते... ब.द.स. क्र० 07R11 C.P.C. दिनांक ...11-9-24...को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)	
11-9-24	आज [illegible] पेश की गई फरीकैन के वकील [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] आज [illegible] पत्रावली [illegible] 22-10-24 पेश की जावे [initials]	
22-10-24	आज यह पत्रावली पेश हुई. फरीकैन के वकील उपस्थित है... ब.द.स. ... को समय चाहते है। पत्रावली वास्ते ब.द.स. क्र० 7R11 C.P.C. दिनांक 14-11-24 को पेश हो। [signature] उप जिला कलेक्टर नीमराना (अलवर)	
14-11-24	आज पत्रावली पेश हुई। वकील व फरीकैन [illegible] श्री पीठासीन अधिकारी [illegible] मीटिंग में पधारे है। पत्रावली उनके समक्ष दि० 27-11-24 को पेश हो। [initials]	
27-11-24	आज पत्रावली पेश हुई पक्षकारान [illegible] पत्रावली के प्रार्थना पत्र 07R11 [illegible] पर बहस हुई [illegible] आदेश 4-12-24 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)	
4-12-24	आज पत्रावली पेश हुई पक्षकारान [illegible] पत्रावली के प्रार्थना पत्र आदेश 7 R 11 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो [signature] उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :– 346/2022
रजू दिनांक :– 24.08.2022

उनवान :–
1. मीरसिंह पुत्र मकतूल
2. सत्यवीर पुत्र मकतूल
3. तारबाई पत्नी मकतूल
4. धर्मेन्द्र पुत्र मुन्शीराम
5. फूलबाई पत्नी मुन्शीराम
6. मुन्नी पुत्री मुन्शीराम
7. रामभोत पुत्री मुन्शीराम
8. मीता पुत्री मुन्शीराम
9. मैना पुत्री मुन्शीराम जातियान अहीर निवासीयान सिरयानी तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड
10. पंकज पुत्र बाता
11. रवि पुत्र बाता जातियान अहीर निवासीयान माजरा भाखली तह0 व जिला रेवाडी (हरि0)
12. सोमदत्त पुत्र रामजीलाल
13. जगराम पुत्र रामजीलाल जातियान अहीर निवासीयान सिरयानी तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड

–वादीगण/ अप्रार्थी।

बनाम

1. अशोक पुत्र श्री मेहरचन्द
2. सुबेसिंह पुत्र रणजीत
3. शादीलाल पुत्र रणजीत
4. लच्छुराम दत्तक पुत्र बिहारी जातियान अहीर निवासीयान सिरयानी तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़
5. उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
7. पंजाब नैशनल बैंक शाखा जोनायचा खुर्द जरिये शाखा प्रबन्धक
8. पंजाब नैशनल बैंक शाखा कुतीना जरिये शाखा प्रबन्धक

.......प्रार्थी/प्रति0

उपस्थिति :– 1. श्री हिम्मत सिंह आर्य एड0 अप्रार्थी / वादी की ओर से।
2. श्री मकरध्वज शर्मा एड0 प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई प्रा0पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:–

वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट. पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0न0 हाल 447/0.21,451/0.55,559/0.22,570/0.11,572/0.48 वाके ग्राम सिरयानी जिसके संवत 2042 से पूर्व के ख0न0 कमशः 282/1–00, 280/2–074, 331/1–06,333/1–19 बिसवा थे तथा संवत 2020 से पूर्व के ख0न0 212/3–07,244/3–07 बिसवा थे। जो विवादित आराजी है आराजी विवादित पक्षकारान की

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

[illegible] पैत्रिक भूमि है परन्तु दोराने भू0प्रबन्ध संवत 2020 में गलत इन्द्राजात कर दिये गए जो इन्द्राजात ता हाल रिकॉर्ड गलत अंकित होते चले आ रहे है। जिसकी दुरूस्ती हेतु यह वाद पेश किया जा रहा है।

उक्त वाद विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायात 4 की ओर से वादीगण एवं हम प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 4 के बुजुर्ग रामजीलाल, इन्द्राज, बिहारी पि. भानाराम उर्फ भानीसहाय सगे भाई थे। जिनकी खातेदारी के खसरा नम्बर संवत 2020 से पूर्व के ख0न0 58 मी.87 मी.332 मी. 212 मी. 244 मी वाके ग्राम सिरयानी थे। तीनों भाईयों द्वारा अपनी उक्त खातेदारी की आराजी का मौके पर बाहमी बंटवारा संवत 2020 से पूर्व ही कर लिया गया था। इसलिए तीनों भाइयो की सहमति से संवत 2014 मे मिसल सैटलमेन्ट के जरिये हम प्रतिवादीगण के बुजुर्ग इन्द्राज व बिहारी के हिस्से की भूमि के ख0न0 282,280,331,333 कायम कर उसके खातेदार हम प्रतिवादी संख्या 01 लगायात 04 के बुजुर्ग इन्द्राज व बिहारी को दर्ज कर दिया गया एवं वादीगण के बुजुर्ग श्री रामजीलाल के हिस्से की भूमि के ख0न0 70,116,494 कायम कर उसका खातेदार वादीगण के बुजुर्ग रामजीलाल को दर्ज कर दिये गए है। इसी अनुसार हम प्रतिवादीगण व वादीगण के बुजुर्ग अपने जीवनकाल में अपने अपने हिस्से व खातेदारी की भूमि पर काबिज रहे और संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग द्वारा हम प्रतिवादीगण के बुजुर्गो की खातेदारी के नय ख0न0 447,451,569,570,572 कायम कर उसकी खातेदारी पूर्व रिकॉर्ड के मुताबिक सही दर्ज कर दी गई तथा वादीगण के बुजुर्ग की खातेदारी के नए ख0न0 104,158,717 कायम कर उसकी खातेदारी पूर्व रिकॉर्ड के मुताबिक सही दर्ज कर दी गई। हम प्रतिवादीगण व वादीगण के बुजुर्गो की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम से आराजी मुतनाजा की खातेदारी सही दर्ज हा गयी है। मौके पर हाल रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी के मुताबिक हम प्रतिवादीगण एवं वादीगण काबिज काश्त कर रहे है। लेकिन वादीगण द्वारा संवत 2014 की सैटलमेन्ट पर्चा खतौनी से पूर्व के रिकॉर्ड की नकले निकलवाकर यह दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में आने के कारण मय खर्चा खारीज होने योग्य है। खारीज किया जावे।

प्रतिवादीगण एवं वादीगण के बुजुर्गो के बीच संवत 2014 में आपसी सहमति के आधार पर सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विधिवत रूप से भूमि का मौके पर बंटवारा के मुताबिक तकसीम करवाकर खातेदारी दर्ज करवाली गई तो उसके बाद आराजी मुतनाजा की बाबत वादीगण को वाद लाने का कोई वाद कारण अराईज नहीं होता है। वादीगण वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए बिना वाद कारण के गलत तथ्यो के आधार पर दावा पेश किया गया है जो दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में आता है। इसलिए दावा मय खर्चा खारीज फरमाया जाना न्याय संगत है।

वादीगण द्वारा मौजूदा दावा हम प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के हिस्से में आयी आराजी की बाबत यह वाद दायर किया गया है एवं वादीगण के बुजुर्ग क हिस्से मे आयी आराजी ख0न0 104,158,717 की बाबत दावा पेश नहीं किया गया है। इसलिए भी वादीगण की जानबुझकर बदयान्ती एवं न्यायालय श्रीमान के समक्ष गलत तथ्य रखकर दावा पेश करना पूर्ण रूप से साबित होता है इसलिए वादीगण का दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में आने के कारण खर्चा खारीज होने योग्य है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में आने के कारण इसी स्टेज पर मय खर्चा खारीज फरमाया जाने की कृपा करें।

प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2023 को पेश किया गया था। परन्तु अप्रार्थी / वादी को बार-बार अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना [illegible]

प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 17.05.2023 को जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 नियत की गई। इसके पश्चात पेश नहीं किया अप्रार्थी/वादी द्वारा दिनांक 04.09.2023 को एक प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के साथ कुछ दस्तावेज पेश किए गए थे जिनकी प्रतिलिपि वादीगण को नहीं दी गई थी दस्तावेजों की प्रतिलिपि दिनांक 02.05.2023 को दी गई है उसके पश्चात दिनांक 17.05.2023 को हम वादीगण का जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 बन्द कर दिया गया और पत्रावली वास्ते बहस नियत कर दी गई थी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/वादीगण को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का जवाब पेश करने की इजाजत दी जावे उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.12.2023 को खारीज किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 नियत की गई।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। एवं अप्रार्थी/वादीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई। हमने उभयपक्ष की मौखिक बहस एवं लिखित बहस तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत पर्चा कथूनी भू0प्रबन्धक विभाग संवत 2014 के अवलोकन से रामजीलाल,भानीसहाय व इन्द्राज ,बिहारी ने अपनी सहखातेदारी की आराजी का तकासमा कर लिया था तथा तकासमे के अनुसार ही मौके पर काबिज हो गए थे इसके पश्चात भू0प्रबन्धक विभाग द्वारा संवत 2020 में कायम की गई जमाबन्दी मे पक्षकारान के बुजुगांन द्वारा किए गए बटंवारे के अनुसार ही अंकन किया गया था। जो अंकन ताहाल रिकॉर्ड में बदस्तुर होता चला आ रहा है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि पर्चा कथूनी भू0प्रबन्धक संवत 2014 में किए गए तकासमा का जो पर्चा कथूनी जारी किया जा उसमें पक्षकारान के बुजुगांन रामजीलाल व बिहारी की अंगूठा निशानी है। जिससे यह तथ्य साबित है कि पक्षकारान के बुजुगांन द्वारा किए गए बंटवारे की जानकारी उन्हें बखूबी रही है। चूंकि वादीगण के बुजुगांन द्वारा करीब 80–85 वर्ष पूर्व ही आराजी का तकासमा कर लिया था एवं संवत 2020 में हुए भू0प्रबन्ध में बंटवारे के अनुसार ही अलग–अलग खाते कायम किये गए थे जिसके संदर्भ में अब वादीगण ने लगभग 65 वर्ष यह वाद पेश किया है। जब पक्षकारान के बुजुगांन द्वारा किए गए बंटवारे के अनुसार ही संवत 2020 मे भू0प्रबन्धक विभाग द्वारा जो इन्द्राजात किए गए है। वे कानूनन सही है जिसमें किसी भी प्रकार की दुरूस्त किया जाना कानूनन अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र बाखूबी साबित होता है। प्रार्थी प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बाध्य है। यानी की वादी का वाद श्रवण योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इस्तकरार हक, दुरुस्ती इन्द्राज व हु0ई0दवामी बाबत आराजी ख0न0 447/0.21,451/0.55,559/0.22,570/0.11,572/0.48 वाके ग्राम सिरयानी ,तह. नीमराना आदेश 07 नियम 11जा0दी0 की परीधि मे व कानूनी बाध्यता होने के कारण दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जा कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :– 346 / 2022

रजू दिनांक :– 24.08.2022

उनवान :–

1. मीरसिंह पुत्र मकतूल
2. सत्यवीर पुत्र मकतूल
3. तारबाई पत्नी मकतूल
4. धर्मेन्द्र पुत्र मुन्शीराम
5. फूलबाई पत्नी मुन्शीराम
6. मुन्नी पुत्री मुन्शीराम
7. रामभोत पुत्री मुन्शीराम
8. मीता पुत्री मुन्शीराम
9. मैना पुत्री मुन्शीराम जातियान अहीर निवासीयान सिरयानी तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड
10. पंकज पुत्र बाता
11. रवि पुत्र बाता जातियान अहीर निवासीयान माजरा भाखली तह0 व जिला रेवाडी (हरि0)
12. सोमदत्त पुत्र रामजीलाल
13. जगराम पुत्र रामजीलाल जातियान अहीर निवासीयान सिरयानी तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड

–वादीगण / अप्रार्थी।

बनाम

1. अशोक पुत्र श्री मेहरचन्द
2. सुबेसिंह पुत्र रणजीत
3. शादीलाल पुत्र रणजीत
4. लच्छुराम दत्तक पुत्र बिहारी जातियान अहीर निवासीयान सिरयानी तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली--बहरोड़
5. उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
7. पंजाब नैशनल बैंक शाखा जोनायचा खुर्द जरिये शाखा प्रबन्धक
8. पंजाब नैशनल बैंक शाखा कुतीना जरिये शाखा प्रबन्धक

.......प्रार्थी / प्रति0

उपस्थिति :– श्री हिम्मत सिंह आर्य एड0 अप्रार्थी / वादी की ओर से।
श्री मकरध्वज शर्मा एड0 प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से।

दिनाक 04.12.2024

पर्चा डिक्री

प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0दवामी बाबत आराजी ख0न0 447 / 0.21,451 / 0.55,559 / 0.22,570 / 0.11,572 / 0.48 वाके ग्राम सिरयानी ,तह.नीमराना आदेश 07 नियम 11जा0दी0 की परीधि मे व कानूनी बाध्यता होने के कारण दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जा कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
(कोटपूतली-बहरोड़)